

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

केलाश

बनाम

विश्वविजयासिंह

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

297/2022

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

10/6/2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती केलाश शिवाजी लाल मोहरी, प्रमोद सिंह
श्री पालनिहे चौहान, मंजू देवी पति श्री राज जी गुजर
श्री मनोज कुमार शिवपुरी पति श्री मेनारिमा

निवासी- चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम ओछडी
 स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 126, 127, 103
104, 105, 1426/103

कुल कीता 6 कुल रकबा 1.1100 है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम ओछडी स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 126, 127, 103 व 104, 105, 1426/103

कुल कीता 6 रकबा 1.1100 है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000.00 रुपये अक्षर एक हजार रुपए प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।



(प्रकाश सुन्दर विष्णोई)
 अध्यक्ष कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 चित्तौड़गढ़ (राज.)